



# माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर

(पुँवारका, सहारनपुर, उ०प्र०, पिन-247120)



Website- [msuniversity.ac.in](http://msuniversity.ac.in)

Email ID - [registrar@msuniversity.ac.in](mailto:registrar@msuniversity.ac.in)

पत्रांक : 878 / प्रशा० / MSU / 2024-25

दिनांक : 28-8-24

सेवा में,

प्रबन्धक / प्राचार्य / प्राचार्या  
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय

विषय : उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक सत्र 2024-25 के लिए नये महाविद्यालयों/संस्थानों के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों/संस्थानों में अतिरिक्त विषयों/पाठ्यक्रमों (बी०एड० पाठ्यक्रम को छोड़कर) को प्रारम्भ करने हेतु अनापत्ति एवं सम्बद्धता प्रस्तावों के ऑनलाइन निस्तारण हेतु संशोधित समय सारिणी के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-2, उ०प्र० शासन के संलग्न पत्र संख्या-वी०आई०पी०-47 / सत्तर-2-2024-16(11)/2017 टी०सी०, दिनांक : 27 अगस्त, 2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से शासन द्वारा शैक्षिक सत्र 2024-25 हेतु नये महाविद्यालयों/संस्थानों को खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों/संस्थानों में अतिरिक्त विषयों (बी०एड० पाठ्यक्रम को छोड़कर) को प्रारम्भ करने हेतु संशोधित समय-सारिणी निर्गत की गई है। ऐसे महाविद्यालय जिन्हें सम्बद्धता हेतु विश्वविद्यालय द्वारा निरीक्षण मण्डल निर्गत किया जा चुका है, किन्तु उन महाविद्यालयों द्वारा निरीक्षण कराकर ऑनलाइन आख्या अपलोड नहीं की जा सकी है। उक्त प्रकृति के समस्त महाविद्यालय शासन द्वारा संशोधित समय-सारिणी( संलग्न) के अनुसार ऑनलाइन आवेदन/अपील करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक - यथोक्त।

भवदीय

(वीरेन्द्र कुमार मौर्य)  
कुलसचिव

प्रतिलिपि अधोलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

01. अपर मुख्य सचिव, श्री कुलाधिपति, उ०प्र०।
02. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन।
03. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, सहारनपुर एवं मेरठ मण्डल।
04. कुलपति कार्यालय को कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ।

उपकुलसचिव



प्रेषक,

प्रेम कुमार पाण्डेय,  
संयुक्त सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,  
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,  
उत्तर प्रदेश।

अगस्त

**उच्च शिक्षा अनुभाग-2**

लखनऊ: दिनांक: 27 ~~सितम्बर~~ 2024

विषय:- उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक सत्र 2024-25 के लिये नये महाविद्यालयों/संस्थानों के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों/संस्थानों में अतिरिक्त विषयों/पाठ्यक्रमों (बी0एड0 पाठ्यक्रम को छोड़कर) को प्रारम्भ करने हेतु अनापत्ति एवं सम्बद्धता प्रस्तावों के ऑनलाइन निस्तारण हेतु समय-सारिणी।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-3050/सत्तर-2-2023-16(11)/2017टी0सी0 दिनांक 15.09.2023, शासनादेश संख्या-196/सत्तर-2-2024-16(11)/2017टी0सी0 दिनांक 31.01.2024, शासनादेश संख्या-407/सत्तर-2-2024-16(11)/2017टी0सी0 दिनांक 23.02.2024, शासनादेश संख्या-646/सत्तर-2-2024-16(11)/2017टी0सी0 दिनांक 01.04.2024, शासनादेश संख्या-835/सत्तर-2-2024-16(11)/2017टी0सी0 दिनांक 03.05.2024, शासनादेश संख्या-1105/सत्तर-2-2024-16(11)/2017टी0सी0 दिनांक 06.06.2024 एवं शासनादेश संख्या-1404/सत्तर-2-2024-16(11)/2017टी0सी0 दिनांक 11.07.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस संबंध में सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शैक्षिक सत्र 2024-25 हेतु निर्धारित उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बी0एड0 पाठ्यक्रम के अतिरिक्त नये महाविद्यालयों/संस्थानों के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों/संस्थानों में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के अतिरिक्त विषयों/पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ करने के लिए उक्त शासनादेश दिनांक 15.09.2023, 31.01.2024, 23.02.2024, 01.04.2024 दिनांक 03.05.2024, दिनांक 06.06.2024 एवं 11.07.2024 के माध्यम से निर्गत समय-सारिणी में उच्च शिक्षा हित में निम्नवत् संशोधन किया जाता है :-

क्र0	कार्यवाही	समय-सीमा
1	विश्वविद्यालय में नये पाठ्यक्रमों हेतु अनापत्ति प्रस्ताव ऑनलाइन जमा करने की अन्तिम तिथि।	----
2	विश्वविद्यालय में ऑनलाइन जमा किये गये प्रस्तावों के भूमि संबंधी अभिलेखों का राजस्व विभाग से सत्यापन कराया जाना	----
3	अनापत्ति आदेश ऑनलाइन निर्गत किया जाना	----
4	ऑनलाइन अनापत्ति के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा लिये गये निर्णय के विरुद्ध शासन में अपील करने की अंतिम तिथि	----
5	शासन में अपील निस्तारित करने की अंतिम तिथि	----
6	निरीक्षण मण्डल का गठन	----
7	निरीक्षण मण्डल द्वारा निरीक्षण आख्या का प्रस्तुत किया जाना।	दिनांक 03 सितम्बर, 2024 तक।



8	विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता ऑनलाइन प्रदान करने की अन्तिम तिथि	दिनांक 06 सितम्बर, 2024 तक।
9	विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता के संबंध में लिये गये निर्णय के विरुद्ध शासन में अपील करने की अन्तिम तिथि	दिनांक 09 सितम्बर, 2024 तक।
10	शासन स्तर पर अपील निस्तारित करने की अन्तिम तिथि	दिनांक 12 सितम्बर, 2024 तक।

3- शासनादेश दिनांक 15.09.2023, दिनांक 31.01.2024, दिनांक 23.02.2024, दिनांक 01.04.2024, दिनांक 03.05.2024, दिनांक 06.06.2024 एवं 11.07.2024 के माध्यम से निर्गत शेष दिशा-निर्देश यथावत् रहेंगे। कृपया उक्त समय-सारिणी का प्रभावी निष्पादन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(प्रेम कुमार पाण्डेय)  
संयुक्त सचिव।

संख्या- वी.आई.पी.-47(1)/सत्तर-2-2024 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, श्री कुलाधिपति, उ०प्र०।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त कुलपति, राज्य विश्वविद्यालय, उ०प्र०।
4. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उ०प्र०।
5. निदेशक, सूचना विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
6. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी., योजना भवन, लखनऊ को इस आशय से कि कृपया उक्त समय-सारिणी के अनुसार तत्काल पोर्टल पर अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।
7. अपर सचिव, उच्च शिक्षा परिषद, इंदिरा भवन, लखनऊ को वेबसाइट पर प्रदर्शन हेतु।
8. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, मा० मुख्यमंत्री।
9. निजी सचिव, मा० मंत्री जी, उच्च शिक्षा विभाग।
10. निजी सचिव, मा० राज्य मंत्री जी, उच्च शिक्षा विभाग।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्रेम कुमार पाण्डेय )  
संयुक्त सचिव।



प्रेषक,

प्रेम कुमार पाण्डेय,  
संयुक्त सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,  
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,  
उत्तर प्रदेश।

अगस्त

**उच्च शिक्षा अनुभाग-2**

लखनऊ: दिनांक: 27 ~~सितम्बर~~ 2024

विषय:- उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक सत्र 2024-25 के लिये नये महाविद्यालयों/संस्थानों के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों/संस्थानों में अतिरिक्त विषयों/पाठ्यक्रमों (बी0एड0 पाठ्यक्रम को छोड़कर) को प्रारम्भ करने हेतु अनापत्ति एवं सम्बद्धता प्रस्तावों के ऑनलाइन निस्तारण हेतु समय-सारिणी।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-3050/सत्तर-2-2023-16(11)/2017टी0सी0 दिनांक 15.09.2023, शासनादेश संख्या-196/सत्तर-2-2024-16(11)/2017टी0सी0 दिनांक 31.01.2024, शासनादेश संख्या-407/सत्तर-2-2024-16(11)/2017टी0सी0 दिनांक 23.02.2024, शासनादेश संख्या-646/सत्तर-2-2024-16(11)/2017टी0सी0 दिनांक 01.04.2024, शासनादेश संख्या-835/सत्तर-2-2024-16(11)/2017टी0सी0 दिनांक 03.05.2024, शासनादेश संख्या-1105/सत्तर-2-2024-16(11)/2017टी0सी0 दिनांक 06.06.2024 एवं शासनादेश संख्या-1404/सत्तर-2-2024-16(11)/2017टी0सी0 दिनांक 11.07.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस संबंध में संयुक्त विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शैक्षिक सत्र 2024-25 हेतु निर्धारित उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बी0एड0 पाठ्यक्रम के अतिरिक्त नये महाविद्यालयों/संस्थानों के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों/संस्थानों में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के अतिरिक्त विषयों/पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ करने के लिए उक्त शासनादेश दिनांक 15.09.2023, 31.01.2024, 23.02.2024, 01.04.2024 दिनांक 03.05.2024, दिनांक 06.06.2024 एवं 11.07.2024 के माध्यम से निर्गत समय-सारिणी में उच्च शिक्षा हित में निम्नवत् संशोधन किया जाता है :-


क्र0	कार्यवाही	समय-सीमा
1	विश्वविद्यालय में नये पाठ्यक्रमों हेतु अनापत्ति प्रस्ताव ऑनलाइन जमा करने की अन्तिम तिथि।	----
2	विश्वविद्यालय में ऑनलाइन जमा किये गये प्रस्तावों के भूमि संबंधी अभिलेखों का राजस्व विभाग से सत्यापन कराया जाना	----
3	अनापत्ति आदेश ऑनलाइन निर्गत किया जाना	----
4	ऑनलाइन अनापत्ति के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा लिये गये निर्णय के विरुद्ध शासन में अपील करने की अंतिम तिथि	----
5	शासन में अपील निस्तारित करने की अंतिम तिथि	----
6	निरीक्षण मण्डल का गठन	----
7	निरीक्षण मण्डल द्वारा निरीक्षण आख्या का प्रस्तुत किया जाना।	दिनांक 03 सितम्बर, 2024 तक।



8	विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता ऑनलाइन प्रदान करने की अन्तिम तिथि	दिनांक 06 सितम्बर, 2024 तक।
9	विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता के संबंध में लिये गये निर्णय के विरुद्ध शासन में अपील करने की अन्तिम तिथि	दिनांक 09 सितम्बर, 2024 तक।
10	शासन स्तर पर अपील निस्तारित करने की अन्तिम तिथि	दिनांक 12 सितम्बर, 2024 तक।

3- शासनादेश दिनांक 15.09.2023, दिनांक 31.01.2024, दिनांक 23.02.2024, दिनांक 01.04.2024, दिनांक 03.05.2024, दिनांक 06.06.2024 एवं 11.07.2024 के माध्यम से निर्गत शेष दिशा-निर्देश यथावत् रहेंगे। कृपया उक्त समय-सारिणी का प्रभावी निष्पादन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,




(प्रेम कुमार पाण्डेय)  
संयुक्त सचिव।

संख्या- वी.आई.पी.-47(1)/सत्तर-2-2024 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, श्री कुलाधिपति, उ०प्र०।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त कुलपति, राज्य विश्वविद्यालय, उ०प्र०।
4. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उ०प्र०।
5. निदेशक, सूचना विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
6. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी., योजना भवन, लखनऊ को इस आशय से कि कृपया उक्त समय-सारिणी के अनुसार तत्काल पोर्टल पर अग्रेतर, कार्यवाही करने का कष्ट करें।
7. अपर सचिव, उच्च शिक्षा परिषद, इंदिरा भवन, लखनऊ को वेबसाइट पर प्रदर्शन हेतु।
8. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, मा० मुख्यमंत्री।
9. निजी सचिव, मा० मंत्री जी, उच्च शिक्षा विभाग।
10. निजी सचिव, मा० राज्य मंत्री जी, उच्च शिक्षा विभाग।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,



(प्रेम कुमार पाण्डेय )  
संयुक्त सचिव।